भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/137/2021/एफ0 सी0/1814 दिनांकः 31 /03/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/145620/2021)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2232/FP/UK/ ROAD/145620/2021 दिनांक 23-03-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.01.2022 का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। बिन्दु क0 03 के जवाब में प्रस्तुत उत्तर में निम्नलिखित कमियां पाई गई है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः–

1. यह पाया गया है कि वर्तमान मार्ग से लाभान्वित ग्राम आलयू की पैदल दूरी 500 मी0 है, इस संबंध में राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण PWD के norms के अनुसार ग्राम को जोड़ने हेतु नियमो के संबंध में जानकारी तथा टिप्पणी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. प्रस्ताव के अवलोकन उपरान्त यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र में पूर्व से ही मार्ग उपस्थित है तथा घने वन क्षेत्र से अतिरिक्त मार्ग का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
3. प्रस्ताव में वैकल्पिक संरेखण का भी उचित परीक्षण नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित connectivity हेतु वैकल्पिक संरेखण का उचित परीक्षण कर पूर्ण जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)